अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

कमला v/s राज० सरकार

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री इन्द्र-चन्द्र मण्डुसिया उपस्थित, श्री GA.	
	कमला बनाम राजस्थान सरकार(2022/377)	
21.04.2025	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं अपील पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ दिनांक 28.04.2025 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
28.04.2025	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष को दिनांक 21.04.2025 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं अपील पर सुना गया। सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किये गये कथन संतोषजनक एवं सद्भाविक प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील पर की गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी के समक्ष राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ब्यावर द्वारा दिनांक 03.06.2022 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट पेश किया गया, जिसे दर्ज कर वर्तमान रेस्पोंडेन्ट की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की गई एवं अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर आगामी पेशी दिनांक 22.08.2022 नियत की गई। तत्पश्चात क्रमशः 17.10.2022 एवं 6.12.2022 की तारीख पेशीया नियत की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही दिनांक 22.11.2022 को अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र विचाराधीन है तथा उक्त प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा ही किया जाना है। अतः हम पक्षकारान के आर्थिक व्ययता एवं समय को मध्येनजर रखते हुए अपील को बिना गुणावगुण पर टिप्पणी करते हुए इसी स्तर पर निर्णित कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है। **अतः अपील निर्णित की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभयपक्ष को जवाब एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का 30 दिवस में गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण आवश्यक रूप से करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।** राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	

Scanned with CamScanner